

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के निर्देशन में जनपद में घटित हत्या, लूट, चोरी, जालसाजी धोखाधड़ी व हिस्ट्रीशीटरो के खिलाफ कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी कोतवाली, गोरखपुर के कुशल नेतृत्व में प्र०नि० जयदीप कुमार वर्मा मय उ०नि० श्री उ०नि० बबलू कुमार मय हमराह फोर्स के थाना कोतवाली गोरखपुर के मु०अ०सं० 856/20 धारा 406,420,411 भादवि से संबंधित अभियुक्त जो रक्त उपलब्ध करवाने के नाम पर धोखाधड़ी करके पैसा लिए थे को थाना क्षेत्र के सावित्री हास्पिटल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त व बरामदगी का विवरण निम्नवत है-

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सात्विक सिन्हा उर्फ अनुज सिन्हा पुत्र स्व० अनुप सिन्हा उर्फ लल्ला निवासी जटेपुर उत्तरी काली मंदिर के पीछे थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान-

दिनांक 10.11.2020 समय 14.05 बजे स्थान सावित्री हास्पिटल के पास थाना कोतवाली, गोरखपुर

बरामदगी का विवरण

900 रूपया नगद

आपराधिक विवरण-

1- मु०अ०सं० 856/2020 धारा 406,420,411 भादवि थाना कोतवाली गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र०नि० जयदीप कुमार वर्मा (थाना कोतवाली, गोरखपुर)
2. उ०नि० बबलू कुमार (थाना कोतवाली, गोरखपुर)
3. का० राकेश कुमार (थाना कोतवाली, गोरखपुर)